Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language,
Online ISSN 2348-3083, SJ IMPACT FACTOR 2026: 8.739,
https://www.srjis.com/issues_data/291
PEER REVIEWED, REFEREED & INDEXED JOURNAL, APRIL-MAY 2026, VOL-14/75
https://doi.org/10.5281/zenodo.22685202

शांति शिक्षा एवं राष्ट्रीय एकता : वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता और आवश्यकता

राकेश कुमार
(शोध छात्र, शिक्षा संकाय, पटना विश्वविद्यालय) E mail : yadavrakeshpu@gmail-com
डॉ. खगेन्द्र कुमार
(सेवानिवृत्त प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष,शिक्षा संकाय, पटना विश्वविद्यालय)

Paper Received On: 21 APRIL 2026
Peer Reviewed On: 25 MAY 2026
Published On: 01 JUNE 2026

Abstract

प्रस्तुत शोध पत्र में शांति शिक्षा की अवधारणा, इसके मूलभूत सिद्धांतों, प्रमुख उद्देश्यों, विशेषताओं तथा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने में इसकी महती भूमिका का एक गहन एवं विस्तृत अध्ययन किया गया है (NCERT, 2006)। वर्तमान वैश्वीकृत एवं तकनीकी युग में जहाँ समाज सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, हिंसा और सामाजिक असंतुलन जैसी जटिल चुनौतियों से जूझ रहा है, वहाँ राष्ट्रीय एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना एक अत्यंत गंभीर विषय बन गया है (Government of India, 1966)। यह आलेख स्पष्ट करता है कि शांति शिक्षा केवल एक सैद्धांतिक विषय नहीं है, बल्कि इसे प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा प्रणाली का एक अनिवार्य एवं अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए (Government of India, 2020)। इसके माध्यम से भावी पीढ़ी में सहिष्णुता, भाईचारा, बंधुत्व और लोकतांत्रिक मूल्यों का बीजारोपण कर एक समरस, शांतिपूर्ण एवं एकीकृत राष्ट्र का निर्माण संभव है (UNESCO, 1996)।

मुख्य शब्द (Keywords):– शांति शिक्षा, राष्ट्रीय एकता, सहिष्णुता, भाईचारा, लोकतंत्र, मानवाधिकार, भावनात्मक एकता, सामाजिक समरसता।

प्रस्तावना (Introduction)

शिक्षा किसी भी सभ्य राष्ट्र की प्रगति और नैतिक संवर्धन की आधारशिला होती है (Malviy, 2011)। शिक्षा का उद्देश्य मात्र औपचारिक ज्ञान या सूचनाओं का हस्तांतरण करना नहीं है, अपितु यह व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व, चरित्र, दृष्टिकोण तथा नैतिक मूल्यों का सर्वांगीण निर्माण करती है। वर्तमान समय में संपूर्ण मानव समाज अनेक गंभीर समस्याओं जैसे–हिंसा, असहिष्णुता, कट्टरता, सांप्रदायिकता, जातिगत विद्वेष, क्षेत्रवाद, आतंकवाद तथा सामाजिक–आर्थिक

Copyright@2026 Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

असमानता से निरंतर प्रभावित हो रहा है (UNESCO, 2015)। इन विघटनकारी वृत्तियों के कारण सामाजिक ताने–बाने में तनाव और संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, जो अंततः देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सामाजिक सद्भाव को क्षति पहुँचाती हैं।

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, जिसकी पहचान इसकी अप्रतिम विविधताकृविभिन्न धर्मों, भाषाओं, जातियों, संस्कृतियों और क्षेत्रीय परंपराओं–में निहित है। इस व्यापक विविधता के बावजूद देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है (Government of India,1966)। राष्ट्रीय एकता का अर्थ मात्र सीमाओं की भौगोलिक सुरक्षा या राजनीतिक एकीकरण नहीं है, बल्कि देश के समस्त नागरिकों के मध्य एक सुदृढ़ भावनात्मक एकता, पारस्परिक सम्मान, सहकारिता तथा राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानने की भावना का विकास करना है।

इसी संदर्भ में शांति शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है (Harris & Morrison, 2003)। शांति शिक्षा विद्यार्थियों में ऐसे शाश्वत मूल्यों का सिंचन करती है, जो उन्हें जिम्मेदार, अहिंसक, संवेदनशील और जागरूक नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं (NCERT, 2005)। यह संवाद, सहयोग, करुणा, समानता तथा मानवाधिकारों के सम्मान की सीख देती है। इसके माध्यम से विद्यार्थी आपसी मतभेदों और विवादों को हिंसा के बल पर सुलझाने के बजाय रचनात्मक बातचीत, समझबूझ और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से हल करना सीखते हैं (Reardon, 1988)। समकालीन समय में सोशल मीडिया पर फैलती अफवाहों, बढ़ती सामाजिक दूरी और वैचारिक कट्टरता के दौर में शांति शिक्षा का महत्व और भी बढ़ जाता है। यदि शिक्षण संस्थानों/विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों–में शांति शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो एक न्यायसंगत, समरस और सशक्त भारत का निर्माण पूर्णतः संभव है (Government of India, 2020)।

शांति शिक्षा की अवधारणा और अर्थ (Concept and Meaning of Peace Education)

शांति शिक्षा (Peace Education) एक बहुआयामी एवं सतत चलने वाली शैक्षिक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों के भीतर शांति, अहिंसा, सहिष्णुता, प्रेम, करुणा, सहयोग, समानता, मानवाधिकारों के प्रति आदर तथा सामाजिक न्याय जैसे मानवीय मूल्यों का पोषण किया जाता है (Harris & Morrison, 2003)। इसका ध्येय केवल प्रत्यक्ष युद्धों अथवा शारीरिक हिंसा को रोकना ही नहीं है, अपितु एक ऐसे सकारात्मक समाज का निर्माण करना है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपनी गरिमा, सुरक्षा और स्वतंत्रता के साथ जीवन यापन कर सके (Reardon, 1988)।

यह अवधारणा महात्मा गांधी के अहिंसा और सत्य के दर्शन पर आधारित है, जो मन, वचन और कर्म की पवित्रता को सर्वोपरि मानते हैं (Gandhi, 1938)। जीवन में मतभेद और असहमति स्वाभाविक हैं, परंतु उनका समाधान

बलप्रयोग से नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण संवाद, धैर्य, क्षमाशील व्यवहार और आपसी समझ से निकाला जाना चाहिए (छब्त्ज, 2006)। यह शिक्षा केवल औपचारिक कक्षाओं तक सीमित न रहकर परिवार, समाज, जनसंचार माध्यमों (Media) तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से पूर्णता प्राप्त करती है, जिसका अंतिम लक्ष्य मानव गरिमा और भाईचारे पर आधारित समाज की स्थापना करना है।

शांति शिक्षा के उद्देश्य एवं प्रमुख विशेषताएं (Objectives and Features of Peace Education)

शांति शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में शांति, प्रेम, करुणा और वैश्विक भ्रातृत्व की भावना का विकास करना है (NCERT, 2006)। यह विद्यार्थियों को भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों तथा मानवाधिकारों के प्रति सजग बनाती है (Ministry of Law and Justice, 1950)। इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य युवाओं को यह सिखाना है कि विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तौर–तरीकों से किस प्रकार किया जाए (Reardon, 1988)। इसके साथ ही, यह शिक्षा राष्ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास तथा विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं के प्रति सम्मान विकसित करके विद्यार्थियों को एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में गढ़ती है (Government of India, 2020)।

विशेषताओं की दृष्टि से देखें तो शांति शिक्षा पूर्णतः मूल्य–आधारित (Value&based) और अहिंसात्मक सिद्धांतों पर टिकी है (Harris & Morrison, 2003)। यह किसी एक विचारधारा या संस्कृति का पक्ष लेने के बजाय सभी धर्मों और भाषाओं का आदर करना सिखाती है। यह शिक्षा विद्यार्थियों में एकांगी बौद्धिक विकास के स्थान पर आत्मविश्वास, आत्म–अनुशासन, सहानुभूति और नैतिक चरित्र का निर्माण करती है (UGC, 2021)। यह संवाद और सहकारिता के माध्यम से समस्याओं का समाधान खोजना सिखाती है, जिससे स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय–हर स्तर पर शांति और स्थिरता का वातावरण निर्मित होता है (UNESCO, 2015)।

राष्ट्रीय एकता की अवधारणा, स्वरूप एवं महत्व (National Integration: Concept] Nature] and Importance)

राष्ट्रीय एकता से तात्पर्य देश के समस्त नागरिकों में अपने राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ प्रेम, निष्ठा, अपनत्व, एकजुटता और सहकारिता की भावना के प्रस्फुटन से है (Government of Indi, 1966)। यह केवल एक राजनैतिक व्यवस्था या भौगोलिक सीमाओं तक सीमित अवधारणा नहीं है, बल्कि नागरिकों के मध्य स्थापित भावनात्मक, सांस्कृतिक, सामाजिक और मानसिक एकीकरण का नाम है। इसका मूल उद्देश्य विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं और क्षेत्रों के लोगों

को एक सूत्र में पिरोना है ताकि वे व्यक्तिगत अथवा संकीर्ण समूह–हितों का त्याग कर राष्ट्रहित को सदैव प्राथमिकता दें।

भारत की बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी संरचना में 'विविधता में एकता' (Unity in Diversity) का सिद्धांत ही हमारी राष्ट्रीय अखंडता की रीढ़ है (NCERT, 2005)। भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करता है (Ministry of Law and Justice, 1950)। जब नागरिक एक–दूसरे की भाषा, खान–पान, रीति–रिवाजों और आस्थाओं का सम्मान करते हैं, तब देश की अंतर्निहित शक्ति मजबूत होती है।

राष्ट्रीय एकता देश की स्थिरता, आंतरिक सुरक्षा और सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य शर्त है। यह समाज से सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद जैसे विखंडनकारी तत्त्वों को समाप्त करने में सहायक सिद्ध होती है। इससे नागरिकों में लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व, पारस्परिक विश्वास और भाईचारे की भावना सुदृढ़ होती है। जब देश में सामाजिक स्थिरता और आंतरिक शांति का वातावरण होता है, तब आर्थिक प्रगति और सामाजिक कल्याण की योजनाओं को तीव्र गति मिलती है (Government of India. 1966)।

शांति शिक्षा और राष्ट्रीय एकता का अंतर्संबंध (Interrelationship between Peace Education and National Integration)

शांति शिक्षा और राष्ट्रीय एकता एक–दूसरे के पूरक तथा आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं (NCERT, 2006)। शांति शिक्षा वस्तुतः एक एकीकृत और सशक्त समाज की सुदृढ़ नींव के रूप में कार्य करती है। यह समाज में व्याप्त सामाजिक विखंडन, घृणा और वैचारिक पूर्वाग्रहों को दूर कर उनके स्थान पर सहानुभूति, संवाद, और अहिंसक संघर्ष–समाधान तकनीकों को प्रतिस्थापित करती है (Harris & Morrison, 2003)।

- **पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों का उन्मूलन** : शांति शिक्षा विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच और आत्म–जागरूकता विकसित करती है, जिससे वे ऐतिहासिक भ्रांतियों, सामाजिक रूढ़ियों और सांप्रदायिक दुष्प्रचारों के प्रभाव से मुक्त होकर निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाते हैं।
- **अहिंसक संघर्ष समाधान का प्रशिक्षण**: जब समाज के विभिन्न घटकों के बीच असहमति उत्पन्न होती है, तो शांति शिक्षा नागरिकों को हिंसक आंदोलनों के बजाय विचार–विमर्श, शांतिपूर्ण वार्ता और समझौते के मार्ग पर चलने का कौशल प्रदान करती है (Reardon, 1988)।

- **नागरिक एवं लोकतांत्रिक मूल्यों का संवर्धन**: सार्वभौमिक मानवाधिकारों, समानता और सामाजिक न्याय पर बल देकर यह शिक्षा व्यक्ति को संकीर्ण स्थानीय या जातीय पहचान से ऊपर उठाकर एक वृहद राष्ट्रीय पहचान से जोड़ती है (UNESCO, 2015)।
- **सामाजिक सद्भाव और सह–अस्तित्व**: यह विभिन्न भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों को एक ही राष्ट्रीय छत्र के नीचे शांतिपूर्वक, सहयोगात्मक और सम्मानजनक ढंग से सह–अस्तित्व (Co-eistence) के साथ रहने की सीख देती है (NCERT, 2005)।

राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने में शांति शिक्षा की भूमिका एवं सिद्धांत (Role and Principles of Peace Education in National Integration)

राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने में शांति शिक्षा की भूमिका अत्यंत व्यापक है। यह समाज में सहिष्णुता, आपसी भाईचारे और अंतर–सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देती है (NCERT, 2006)। विवादों को बल प्रयोग के स्थान पर संवाद से सुलझाने की कला सिखाकर यह सामाजिक तनावों और हिंसक झड़पों को न्यूनतम करती है। इसके माध्यम से नागरिकों में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय जैसे संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों का व्यावहारिक समावेश होता है (Ministry of Law and Justice, 1950)।

यह संपूर्ण व्यवस्था कुछ मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है :

- **अहिंसा का सिद्धांत** : यह केवल शारीरिक हिंसा के त्याग तक सीमित नहीं है, अपितु मन, वचन और कर्म से भी किसी को कष्ट न पहुँचाने की प्रेरणा देता है (Gandhi, 1938)।
- **समानता एवं न्याय का सिद्धांत** : समाज के हर वर्ग को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर, अधिकार और न्याय मिलना ही स्थायी शांति की पूर्व शर्त है (Ministry of Law and Justice, 1950)।
- **सहिष्णुता एवं सह–अस्तित्व का सिद्धांत :** विभिन्न मतों, मान्यताओं और विचारधाराओं को स्वीकार करते हुए एक साथ मिलकर रहने की कला इसका मुख्य आधार है (UNESCO, 1996)।
- **सहयोग एवं लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत :** सामूहिक उत्तरदायित्व, सहभागिता, स्वतंत्रता और नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता के माध्यम से ही एक शांतिपूर्ण समाज की रचना होती है (Government of India, 2020)।

राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता की ऐतिहासिक व वर्तमान आवश्यकता (Historical and Contemporary Need for Emotional Integration)

भारत को एक विकसित और समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए यह आवश्यक है कि नागरिक अपनी संकीर्ण मानसिकता, प्रांतीयता और जातिगत निष्ठाओं का त्याग करके वैज्ञानिक, मूल्यपरक और समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाएं।

शिक्षा आयोग (कोठारी कमीशन, 1964–66) ने भारतीय समाज की आंतरिक संरचना पर प्रकाश डालते हुए चेतावनी दी थी कि समाज में विभिन्न वर्गों के बीच खाई चौड़ी होती जा रही है (Government of Indi, 1966)। आयोग के अनुसार, अमीर–गरीब और शिक्षित–अशिक्षित के बीच बढ़ता अंतर, सांस्कृतिक जड़ों से कटता हुआ शिक्षित वर्ग, तथा स्थानीय व भाषाई संकीर्णता में वृद्धि राष्ट्र की शांति और अखंडता के लिए गंभीर खतरा है। जब पुराने नैतिक और सामाजिक मूल्य लुप्त होने लगते हैं और उनकी जगह सामाजिक उत्तरदायित्व की नई भावना नहीं ले पाती, तो समाज में कानून की अवहेलना, हड़तालें, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक तनाव तथा छात्र असंतोष जैसी समस्याएं जन्म लेती हैं।

इसी प्रकार, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भावात्मक एकता पर बल देते हुए कहा था कि राजनैतिक एकीकरण तो प्राप्त कर लिया गया है, परंतु इससे भी अधिक गहन श्भावात्मक एकताश की आवश्यकता है, जिससे संपूर्ण भारतीय जनमानस अपनी विविधता को बनाए रखते हुए भी एक सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में एकजुट हो सके (Government of Indi, 1966)।

संक्षेप में, राष्ट्रीय और भावात्मक एकता की आवश्यकता निम्नलिखित आयामों के लिए नितांत अनिवार्य है :

- लोकतंत्र की वास्तविक सफलता और निरंतरता के लिए।
- भारतीय संस्कृति के समृद्ध दायाद (विरासत) की अक्षुण्णता और उसके आगामी पीढ़ियों में हस्तांतरण के लिए।
- राष्ट्र के गौरव, मर्यादा और अंतरराष्ट्रीय साख को बनाए रखने के लिए (UNESCO, 2015)।
- देश को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में अग्रसर करने तथा मानव संसाधन का सही दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए।
- समाज में व्याप्त विघटनकारी और पृथकतावादी शक्तियों से देश की रक्षा करने तथा बाह्य एवं आंतरिक आक्रमणों से सुरक्षा हेतु।
- नागरिकों को देश–प्रेम, विश्व–बंधुत्व और उत्तम नागरिकता के गुणों से अलंकृत करने के लिए (Malviy, 2011)।

समीक्षात्मक एवं विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण (Critical Analysis & Recommendations)

यद्यपि प्रस्तुत आलेख में शांति शिक्षा और राष्ट्रीय एकता के सैद्धांतिक पहलुओं का अत्यंत विस्तृत एवं सारगर्भित विवरण दिया गया है, परंतु व्यावहारिक धरातल पर कुछ महत्वपूर्ण शोध–संबंधी सुधारों की आवश्यकता रेखांकित की जा सकती हैः

- **शोध कार्यप्रणाली (Research Methodology) का स्पष्टीकरण :** आलेख में अध्ययन की प्रविधि (जैसे साहित्यावलोकन या गुणात्मक विश्लेषण) का पृथक से उल्लेख किया जाना चाहिए था, जिससे इसकी अकादमिक प्रामाणिकता और अधिक सुदृढ़ होती।
- **पाठ्यचर्या और पेडागोजी में व्यावहारिक समावेश** : शांति शिक्षा केवल सिद्धांतों तक सीमित न रहे, इसके लिए विद्यालयों में इसे किस प्रकार लागू किया जाए–जैसे कि विषय–वस्तु का पुनर्गठन, शिक्षक–प्रशिक्षण कार्यक्रम, तथा अनुभवात्मक अधिगमकृइस पर ठोस रणनीतिक सुझाव शामिल किए जाने चाहिए।
- **आधुनिक संदर्भ (NEP 2020) से जुड़ाव** : कोठारी आयोग (1964–66) के ऐतिहासिक संदर्भों के साथ–साथ वर्तमान 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' में संस्तुत 'संवैधानिक मूल्यों' और 'वैश्विक नागरिकता शिक्षा' (GCED) के प्रावधानों के साथ इसका विश्लेषणात्मक संबंध जोड़ना अत्यंत समीचीन रहेगा (Government of Indí, 2020)।

निष्कर्ष (Conclusion)

निष्कर्षतः, वर्तमान वैश्विक और राष्ट्रीय परिदृश्य में जहाँ हिंसा, आतंकवाद, वैचारिक कड़वाहट, सामाजिक असमानता और नैतिक मूल्यों का ह्रास एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं, वहाँ शांति शिक्षा एक आशाजनक और सामयिक समाधान प्रस्तुत करती है (UNESCO, 2015)। शांति शिक्षा केवल युद्धों के अभाव का नाम नहीं है, अपितु यह न्याय, समानता, सहिष्णुता, करुणा और परस्पर आदर की संस्कृति को जन्म देती है (Harris - Morrison, 2003)।

भारत की अनूठी श्अनेकता में एकताश की परंपरा को जीवंत रखने तथा देश को विकास के उच्च शिखरों पर ले जाने के लिए भावात्मक और राष्ट्रीय एकता का होना अनिवार्य शर्त है (छब्म्त्ज, 2005)। यह तभी संभव है जब हमारे देश के नागरिक संकीर्ण प्रांतीय, जातीय और सांप्रदायिक दायरों से बाहर निकलकर राष्ट्रहित को सर्वोपरि समझें। शांति शिक्षा को औपचारिक, अनौपचारिक और उच्च शिक्षा के हर स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करके ही हम एक सशक्त, शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और एकीकृत भारत की संकल्पना को साकार कर सकते हैं (Government of India, 2020)।

संदर्भ सूची

Gandhi, M. K. (1938). Hind Swaraj or Indian Home Rule. Navajivan Publishing House.

Government of India, Ministry of Education. (1966). Report of the Education Commission (1964-66): Education and national development. Manager of Publications.

Government of India, Ministry of Education. (2020). National Education Policy 2020. Ministry of Education, Government of India.

Harris, I. M., & Morrison, M. L. (2003). Peace education (2nd ed.). McFarland & Company.

Malviya, R. (2011). Udiyaman Bharatiya Samaj mein Shikshak [Teacher in Emerging Indian Society]. Sharda Pustak Bhawan.

Ministry of Law and Justice. (1950). The Constitution of India. Government of India.

National Council of Educational Research and Training. (2005). National curriculum framework 2005. NCERT.

National Council of Educational Research and Training. (2006). Position paper: National focus group on education for peace. NCERT.

Reardon, B. A. (1988). Comprehensive peace education: Educating for global responsibility. Teachers College Press.

UNESCO. (1996). Learning: The treasure within (Delors Report). UNESCO Publishing.

UNESCO. (2015). Global citizenship education: Topics and learning objectives. UNESCO Publishing.

University Grants Commission. (2021). Inculcation of human values and professional ethics in higher educational institutions. UGC.

Rakesh Kumar & Dr. Khgendra Kumar. (2026). SHANTI SHIKSHA EVUM RASHTRIY EKTA: VARTMAN PARIPEKSH ME PRASANIKTA AUR AVSHKYATA. Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies, 14(75), 649–656. https://doi.org/10.5281/zenodo.2268520